

अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार वि... को पेश हो।

4.10.23 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं  
गवाह श्री..... अधिवक्ता गण  
उपस्थित..... उपस्थित नहीं आए  
अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार वि... 8/11/23  
को पेश हो।

8/11/2023  
Not Proff  
महोदय  
वकील

बाहीया गानीबाई के वारिसान श्री भांगीछात्र, बदरीचन्द,  
इन्द्रकुटाई, पायसबाई ने उपरोक्त केकर न्यायालय  
हाजमे 'सिपरापीन' वाद प्रकरण सं. 131/2016 को  
नोट प्रेस किया गया एवं प्रकरण को बन्द चलाना  
नहीं चाहते हैं। बाहीया के वारिसान श्री पदयाक श्री  
मोहम्मद हसन खान एडवोकेट द्वारा की गई/ बाहीया  
के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया  
गया बाद जाम अवलोकन वाद प्रकरण को नोट प्रेस  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमा  
होकर नम्बर से कम है।

जमेकु  
नि. Mirhail  
व. 9/1/21

उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला

